

नियम 4 : संयुक्त उद्ग्रहण की प्रभावी तारीख

- (1) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प उस वित्तीय वर्ष के, जब नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन सूचना फाइल की गई है और वह नियत दिन जब उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन सूचना फाइल की गई है, आरंभ से प्रभावी होगा।
 - (2) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन सूचना पर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा और धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए उसका विकल्प नियम 10 के उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन नियत तारीख से प्रभावी होगा।
-